





A 051660

बैनामा / विक्रय विलेख पत्र

किस्म दस्तावेज बैनामा भूमि का प्रकार कृषि भूमि मौजा / ग्राम

सम्पत्ति का विवरण –

मौजा ककुआ, तहसील व जिला आगरा कृषि भूमि खाता सं० ००४६० (१४२७–१४३२ फसली) खसरा सं0 620 क्षेत्रफल 0.5790 हेक्टेयर में से 0.0257 हेक्टेयर

यूनिक कोड मापन की इकाई विक्रीत क्षेत्रफल पेड़ों का मूल्यांकन -कुंआ, बोरिंग व अन्य-

सड़क की स्थिति सरकारी मालियत

प्रतिफल की धनराशि-सर्किल रेट

1246210620000012 हेक्टेयर 0.0257 हेक्टेयर

पेड़ नहीं है। नहीं है

लिंक मार्ग के सहारे स्थित कृषि भूमि 3,85,500 / - रूपया

15,42,000 / - रूपया

150,00,000 / — रूपया प्रति हेक्टेयर जो उपनिबन्धक चतुर्थ सदर आगरा की दर सूची के पृष्ठ संख्या 47 क्रम सं0 245 पर अंकित है।

1,08,000// - रूपये

स्टाम्प



15000 यह स्टाम्य धनराशि क 1 नं0 1 मे शामिल है.

108m

A au 10/24

MUKESH KUMAR CASHIER Treasury, AGRA







462241

-2-

अन्य विवरण – विक्रीत आराजी की 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है। विक्रीत आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग, व आबादी के सहारे स्थित नहीं है, लिंक मार्ग के सहारे स्थित कृषि भूमि है। विक्रीत आराजी धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं हैं तथा क़ेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है।

मनोज कुमार पुत्र श्री हमवीर सिंह निवासी ककुआ, आगरा मो०नं० 9758020858 पैन नं. LPFPK1344Q

.....प्रथम पक्ष / विक्रेता

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा जो उत्तर प्रदेश शहरी एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी आगरा (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है द्वारा सहप्रभारी भूअर्जन श्री विमल कुमार जिन्हें उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 14.08.2024 द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है। मो० नं० 9458626266 पैन नं. AAALA0081F

.....द्वितीय पक्षा / क्रेता




10000

यह स्टान्य धनराशि रूट... नं**0 1 मे शा**मिल है ।

100000

MUKESH KUMAR CASHIER Teasury, AGRA







462240

-3

प्रलेख -

विदित हो कि विक्रेता प्रथम पक्ष एक किता आराजी बाक मौजा ककुआ तहसील व जिला—आगरा खाता सं0 00460 (1427—1432 फसली) खसरा सं0 620 क्षेत्रफल 0.5790 हेक्टेयर में से 0.0257 हेक्टेयर लगानी 60ख अनुसार सन् फसली 1427—1432 फसली का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील दर्ज खातेदार चला आता है। जिसमें सिवाय प्रथम पक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है। उक्त आराजी आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, इक्यूटेविल मोरगेज व हर प्रकार की देनदारियों, जिम्मेदारियों आदि से पाक व साफ है।

विक्रीत आराजी नजूल या राजकीय आस्थान या ग्राम सभा की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित है और न कोई मुआवजा प्रथम पक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है। विक्रीत आराजी कृषि भूमि है और विक्रीत आराजी को उ०प्र0 राजस्व संहिता 2006, की धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं

भनारा दुरमार





gmL.

10000

यह स्टाम्प धनराशि का /08060 कं01 में शामिल हैं!

> MUKESH CIMAR CASHIER Treasury, AGRA





462239

-4

किया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की है। यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता टाउनिशप विकसित करने हेतु उक्त कृषि भूमि को क्रय करने का इच्छुक है जिसको क्रय करने के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा सरकारी मालियत की चार गुना धनराशि प्रथम पक्ष को अदा कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष अपनी सम्पूर्ण आराजी को द्वितीय पक्ष को विक्रय करने हेतु सहमत है। जिसमें विक्रेता का पूरा—पूरा लाभ है।


लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाब किसी नाजायज के इन्द्रियों की ठीक दशा में उक्त वर्णित आराजी का विक्रय 15,42,000/— रूपया में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी, आगरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा सहप्रभारी भूअर्जन श्री विमल कुमार, क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में पूर्ण अधिपत्य व स्वामित्व व गुड टायटिल सहित वैय कर्ताई किया और बेच दिया। प्रथम पक्ष ने कीमत का कुल रूपया मु0 15,42,000/— रूपया इस प्रकार प्राप्त किया कि—


MATTIN OF MIZ

On-1

10000 यह स्टाम्प धनराशि स्टा 108600 4 नं01मे शामिल है |

> MUKESH KUMAN, CASHIER Treasury, AGRA





462238

-5-

क्र.सं.	धनराशि	चैक / डी०डी०	दिनांक	बैंक का नाम
		RTGS/UPI सं0	2.	0 0
1.	15,42,000 / -	003931	08-10-24	राच्या राष्ट्रवाह
कुल	15,42,000 / -			-

(नोट— विक्रीत आराजी कृषि भूमि होने के कारण इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 194(एल.ए) के तहत टी.डी.एस काटने की आवश्यकता नहीं है।)

इस प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से कीमत की पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली हैं। जिसको प्रथम पक्ष गवाहों के समक्ष प्राप्त होना स्वीकार करता है। अब उपरोक्त कृषि भूमि की कीमत के सन्दर्भ में प्रथम पक्ष विक्रेता का द्वितीय पक्ष क्रेता से कुछ लेना व पाना शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।

अतः कब्जा व दखल विक्रीत कृषि भूमि पर विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया और द्वितीय पक्ष को विक्रीत कृषि भूमि का पूर्णतः मालिक व स्वामी बना दिया। अब आज की तारीख से उपरोक्त खसरा नम्बरों की कृषि भूमि में प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का कोई हिस्सा व स्वामित्व किसी प्रकार का शेष

भनाए। कुलार



10000

यह स्टाम्प धनराहि कं0 1 मे शामिल है 100000

MUKESH KUMA CASHIER Treasury, AGRA





462237

-6-

नहीं रहा और न भविष्य में होगा तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि वह विक्रीत कृषि भूमि से चाहे जिस प्रकार लाभ उठावे, विक्रय करे, कृषि कार्य करे चाहे जैसे अपने प्रयोग में लावे, किसी भी ऋणदायी संस्था से ऋण प्राप्त करे अथवा जिस प्रकार चाहे क्रय की गई भूमि का उपयोग करे। इसमें प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। क्रेता द्वितीय पक्ष उपरोक्त बैनामा के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम का नामांतरण कराये प्रथम पक्ष विक्रेता अपनी पूर्ण सहमित प्रदान करता हैं। विक्रीत कृषि भूमि से सम्बन्धित खसरा व खतौनी संलग्न हैं।

यह कि अगर भविष्य में कोई कॉमी या खानदानी या कोई वारिस या कोई दीगर व्यक्ति या कोई दीगर किफालतदार पैदा होकर दावा व झगड़ा क्रेता द्वितीय पक्ष से करे या जिसकी वजह से किसी को कोई रकम अदा करने पड़े या खर्चा करने पड़े या क्रेता के हक व अधिकार से उक्त आराजी का कुल जुज व कब्जा व दखल निकल जावे, तो ऐसी उन कुल तमाम सूरतों में उस कुल की जबावदेही व जिम्मेदारी व अदायगी प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष

र्भाषा कुत्रार



1800 वह स्टाम्प धन हैं सह स्टाम्प धनराशि का 10 0000 ने 1 में शामिल हैं!

> MUKESH KUMAR MUASINISKUMAR Treasury, AGRA





462236

-7-


की होगी जिसमें प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष को कोई उज्ज व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। विक्रेता प्रथम पक्ष यह घोषणा करता है एवं वचन देता है कि उसके द्वारा विक्रय प्रतिफल धन से पूर्ण संतुष्ट होकर यह विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है और इस सम्बन्ध में अथवा विक्रय प्रतिफल धनराशि को बढ़वाने के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा ट्रवुनल आदि में कोई भी वाद अथवा कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा तथा यदि विक्रीत भूमि की वास्तविक पैमाइश के समय भूमि मौके पर कम पायी जाती है तो वह आनुपातिक रूप से कम भूमि का मूल्य मय व्याज 12 प्रतिशत सालाना की दर से क्रेता द्वितीय पक्ष आगरा विकास प्राधिकरण आगरा को वापस कर देगा। ऐसा नहीं करने पर क्रेता द्वितीय पक्ष विधिक प्रक्रिया के तहत उसे मय व्याज व हर्ज, खर्चे के विक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसानों से वसूल करने का अधिकारी होगा।


र्भनाए लुक्त भार

Dunt.

यह स्टाम्प धन । १०८०० न0 1 मे शासिक

MUKESH KUMAI CASHIER Treasury, AGR





462235


-8-

यह कि विक्रय प्रतिफल धनराशि पर यदि कोई इनकम टैक्स देय होगा अथवा विक्रीत भूमि पर यदि कोई अन्य टैक्स अथवा वैधानिक देयता पायी जाती है तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी। महानिरीक्षक निबन्धन उ०प्र० के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार लेखपत्र में वे सभी तथ्य और परिस्थितियाँ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकती हैं, पूर्णतया सत्यता पूर्वक अंकित कर दिये गये हैं। उक्त बैनामा का खर्चा व स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा अदा किया गया है।

अना छ लुक्तार



gruf.





462234

_9.

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

भनाम कु भए

grey.

व नं 1 में शामिल है।

M SHIER ASHIER TRESSURY, AGRA





462233

-10-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।





10 मह स्टाम्प धनराह कर (0 8000)

Treasury, AGRA





AK 975662

-11-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

gruf



77-11 of 912



८०० व वह स्टाय बन के । नं 01 में स कि

100000

ASHIER Tressury, AGRA





AK 975661

-12-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।



र्मनाप कुमार



11 नं01 में राजन

Treasury, AGRA





AK 975660

-13-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।


gny





12 7019

h. Shi KUMAR Treasury, AGRA





AK 975659

-14-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

my -

भनाजाळ्यार



आवेदन सं०: 202400766063512

Treasury, AGRA

विक्रय पत्र

बही स०: 1

रजिस्ट्रेशन स०: 9143

वर्ष: 2024

प्रतिफल- १५४२००० स्टाम्प शुल्क- १०८००० बाजारी मूल्य - १५४२००० पंजीकरण शुल्क - १५४२० प्रतिलिपिकरण शुल्क - १०० योग : १५५२००

श्री आगरा विकास प्राधिकरण, द्वारा विमल कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि, सहप्रभारी भूअर्जन व्यवसाय: अन्य निवासी: आगरा

श्री, आगरा विकास प्राधिकरण, द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 10/10/2024 एवं 02:09:12 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया। gmf_

विमल कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि





रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजय सिंह ० उप निबंधक :सदर चतुर्थ आगरा 10/10/2024

००० निबंधक लिपिक 10/10/2024





AK 975658

-15-

अतः यह विक्रय पत्र हम दोनों पक्षों ने आज दिनांक 09.10.2024 को इसके प्रारूप से सन्तुष्ट होकर नीचे लिखे अपने परिचित साक्षियों के समक्ष अपने—अपने हस्ताक्षर व निशानात अंगूठों के द्वारा निष्पादित किया तथा साक्षियों ने भी पक्षों के कहने पर इसी समय तथा उन्हीं के समक्ष अपनी गवाही दी इस विक्रय पत्र का प्रारूप पक्षों के दिये

gny

भनीत व्यक्तिए



बही स०: 1

रजिस्ट्रेशन स०: 9143

वर्ष: 2024

र्थ नं 1 में

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेताः 1

श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री हमवीर सिंह

निवासी: ककुआ, ओरारा

Treasury, AGRA व्यवसाय: अन्य भनाह। कुमार





क्रेताः 1

श्री आगरा विकास प्राधिकरण, के द्वारा विमल कुमार , सहप्रभारी भूअर्जन

निवासी: आगरा

व्यवसाय: अन्य







ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1

श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री रघुवीर सिंह

निवासी: 8/153 ई-10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

10mg





श्री रवि बघेल, पुत्र श्री नन्द किशोर

निवासी: 17/166 टीला माईथान, आगरा

व्यवसाय: अन्य

219 agn





रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी:

संजय सिंह ० उप निबंधक : सदर चतुर्थ आगरा 10/10/2024 ०००

००० निबंधक लिपिक आगरा 10/10/2024

प्रिंट करें



AK 975657

-16-

गये निर्देशों के अनुसार उनकी संतुष्टि पर प्रवीन कुमार रावत एडवोकट ने तैयार किया और दोनों पक्षों ने पढ़कर व सुनकर निष्पादित व हस्ताक्षरित किया है।

मिनाछ ल्यु गार

gny



गवाह—1 विनोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह नि० ८/153 ई—10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा। मो०नं० 7895495945



ग्वाह- 2 रिव बघेल पुत्र श्री नन्द किशोर नि० 17/166 टीला माईथान, आगरा मो०नं० 8535056934





यह स्टाम्प धनः विकास वित

Treasury, AGRA आवेदन सं०: 202400766063512

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 7341 के पृष्ठ 141 से 174 तक क्रमांक 9143 पर दिनाँक 10/10/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजय सिंह ०

उप निबंधक : सदर चतुर्थ

आगरा 10/10/2024



SITE PLAN OF KHASRA NO (GATA NO) - 620 SITUATED AT VILLAGE - KAKUA TEHSIL- SADAR , AGRA

AREA - 0.5790 HECT

BOUNDARIES

NORTH

PURCHASER (ADA) -

SELLER -

SOUTH -

OTHER'S GATA

EAST

OTHER'S GATA

WEST

OTHER'S GATA

OWNER NAME	
RAJVEER SINGH S/O JALIM SINGH	0.2895
SUKHVEER SINGH S/O GIRRAJ SINGH	0.2316
MANOJ KUMAR S/O HAMVEER SINGH	0.0257
SACHIN KUMAR S/O HAMVEER SINGH	0.0257
SMT.KAMLESH DEVI W/O LATE HAMVEER SINGH	0.0064

N

OTHER'S GATA

OTHER'S GATA

KH.NO-620

OTHER'S GATA

OTHER'S GATA

(AGRA DEVLOPMENT AUTHORITY)
PURCHASER

SELLER

DRAWN BY

